



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

महत्वपूर्ण/आवश्यक।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांक 764
सेवा में,

/62 बजट (मु0अ0अधि0क्षे0)/2018-19

दिनांक 18 / 10 / 2018

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 3054 (राजस्व) मद के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर-। के अधिकार क्षेत्र में रक्षित धनराशि के सापेक्ष आवंटन।

सन्दर्भ:- (1) शासनादेश संख्या-1503/111 (2)/18-03 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018
(2) भारतीय सड़क कांग्रेस आर0के0 पुरम नई दिल्ली का पत्र संख्या आई.आर.सी.-5(3)/2018 दिनांक 10.10.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दि0 09.04.2018 (क0सं0-1) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखाशीर्षक-3054-04-337-03-07-24 (राजस्व) मुख्य अभियन्ता स्तर-। के अधिकार में लघु और छोटे निर्माण कार्यों के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि तथा भारतीय सड़क कांग्रेस नई दिल्ली के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.10.2018 (क0सं0 2) द्वारा भारतीय सड़क कांग्रेस के 79 वें वार्षिक अधिवेशन (दिनांक 22.11.2018 से दिनांक 25.11.2018 तक निर्धारित) में 05 सदस्यों को प्रतिभाग हेतु नामित किये जाने एवं तदकम प्रति सदस्यता शुल्क ₹ 0.07 लाख की दर से कुल ₹ 0.35 लाख के भुगतान की माँग सूचित कराये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नविवरणानुसार ₹ 0.35 लाख (₹ पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि इंगित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

(धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	भारतीय सड़क कांग्रेस एवं भारतीय भवन कांग्रेस के पत्रों का संदर्भ	वॉंछित धनराशि का प्रयोजन	भा.स.कां. द्वारा सूचित माँग	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	भारतीय सड़क कांग्रेस, आर.के. पुरम नई दिल्ली का पत्र संख्या आई.आर.सी.-5(3)/2018 दिनांक 10.10.2018	भारतीय सड़क कांग्रेस के 79 वें वार्षिक अधिवेशन (दिनांक 22.11.2018 से दिनांक 25.11.2018 तक प्रस्तावित) हेतु सदस्यता शुल्क का भुगतान	0.35	0.35
	योग,		0.35	0.35

आवंटन की शर्त:- (1) आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उपर्युक्त वर्णित प्रयोजन हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस, आर0के0पुरम नई दिल्ली के पक्ष में अविलम्ब किया जायेगा, किसी भी दशा में यह धनराशि अन्य मदों/प्रयोजनों में व्यय नहीं की जायेगी।

(2) अधिसासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 देहरादून के द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि ₹ 0.35 लाख (₹ पैंतीस हजार मात्र) का आहरण नियमानुसार करते हुये आहरित धनराशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट 'Secretary General, Indian Roads Congress. Payable at New Delhi' के पक्ष में दिनांक 25.10.2018 से पूर्व प्रेषित करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जायेगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के प्रेषण एवं सुलभ संदर्भ हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस, आर0के0 पुरम नई दिल्ली का उपर्युक्त संदर्भित पत्र दि0 10.10.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(3) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित शर्तों एवं भारतीय सड़क कांग्रेस के संदर्भित पत्र दिनांक 10.10.2018 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु 04-जिला और अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत- 07 मुख्य अभियन्ता स्तर-1, के अधिकार क्षेत्र में लघु और छोटे निर्माण कार्यों हेतु आवर्तक रक्षित धनराशि-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
संलग्न -यथोपरि।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।

(2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(3) वित्त नियंत्रक, कार्या0 प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि.देहरादून। साख-सीमा जारी करने हेतु।

(4) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून।

(5) अधीक्षण अभियन्ता, नवों वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून।

(6) अधिसासी अभियन्ता, आई0टी0/प्रशिक्षण वर्ग कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

1-T
Uploaded
23.10.18
(देवेन्द्र शाह)
अधिसासी अभियन्ता